न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–69/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/69)

1. सवाईसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह जाति चारण निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. निर्मला सिंह पत्नी सत्यनारायण जाति सैनी निवासी प्लाट नम्बर ए 318 गोविन्द मार्ग विद्युत नगर अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर।
2. विजया देवी पत्नि इंद्रचंद जाति महाजन निवासी जयपुर सी/ओ माणकचंद सुराना ई 67 हनुमान नगर श्यामनगर सोडाला जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
3. जयकुमार पुत्र स्व0 चित्रलेखा पत्नि पूरणचंद जाति महाजन निवासी जयपुर सी/ओ माणकचंद सुराना ई 67 हनुमान नगर श्यामनगर सोडाला जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मौजमावाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2020 राजस्व वाद संख्या 153/2019

उपस्थितः–

1. श्री, आर0एस0 मण्डावरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, विरेन्द्र सिंह खंगारोत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04
4. रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 24.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2020 राजस्व वाद संख्या 153/2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया। दिनांक 04.12.2019 को वादीया ने आराजी का विधिवत तकासमा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा तकासमा करवाने से साफ इंकार हो जाने के कारण यह वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned with CamScanner

विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीया ने वाद के अन्य बिंदुओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुए दादरसी चाही कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बाबत तकासमा डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र का पैरा संख्या 1 का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स अर्थात अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी एवं राजस्व मण्डल के सिद्धांतों के अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबंदी अलहदा–अलहदा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद–पत्र के वर्णित मद नम्बर 1 की आराजीयात में बिना तकासमा किसी प्रकार वादीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे, न ही आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुंतकिल, विक्रयादि करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। पक्षकारान के अभिवचनों के पश्चात प्रकरण में बहस सुनकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.8.2020 को वादीया का वाद डिक्री किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2020 राजस्व वाद संख्या 153/2019 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 अनुपस्थित।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 परं कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू जिला जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.8.2020 विधि के सुमान्य सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट/प्रार्थी को जानबूझकर पक्षकार कायम नहीं किया गया था, जबकि प्रार्थी स्व0 भूरदान के सन् 1976 में फौत हो गए थे और स्व0 मदनसिंह उनके भाई के लडके रहे है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जायज वारिस है। लालदान भूरदान की सेवा अंतिम समय तक मदनसिंह ने की मृत्युपरांत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तमाम संस्कारों को मदनसिंह ने सम्पन्न कराए है। विवादित आराजी में प्रार्थी का हित निहित है, जिससे मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस अपने हितों की रक्षार्थ अपील पेश करना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि अपीलांट को नकल जमाबंदी व नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2021 को प्राप्त करने पर हुई लेकिन उक्त नकल व डिक्री लेने के पश्चात प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर न्यायिक कार्यवाही करने के लिए दूदू आ गया था। अपीलांट को बुखार हो जाने से एवं लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने से कोरोना के भय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अपील प्रस्तुती में हुई देरी का अवधि कैण्डोन दिनांक 28.01.2021 तक दिनांक 5.3.2021 तक किए जाने की कृपा करे। अतः प्रस्तुत मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि स्व0 भूरदान अविवाहित फौत हो चुके है जिनके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में बहन की संतान स्व0 मदनसिंह है। अपीलांट स्व0 भूरदान के हिस्से पर उनके फौत होने के पश्चात से काबिज काश्त रहे है पहले स्व0 मदनसिंह एवं उनके पश्चात अपीलांट काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक प्रतिवादी स्व0 चित्रलेखा व भूरदान के विरूद्ध वाद निर्णित कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है रेस्पोडेंट संख्या 3 की माता चित्रालेखा देवी का वाद प्रस्तुती से कई वर्ष पहले देहांत हो गया था जिनके विरूद्ध झूठा वाद कारण दर्ज किया जाकर वाद रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय को मुगालता देकर कार्यवाही की गई है जो कतई रेस्पोडेंट द्वारा की गई झुठी अवैधानिक कार्यवाही है जिससे यह निर्णय दिनांक 19.8.2020 निरस्त किए जाने योग्य है। स्व0 चित्रा देवी, स्व0 भूरदान वाद प्रस्तुती के समय इस संसार में मौजूद नहीं थे फिर भी उनके लिए वाद पत्र के पैरा संख्या 2, 3, 5, 8 में मिथ्या ईबारत दर्ज की गई है प्रतिवादीगण के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाकर झूठा दावा पेश किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अपीलांट के मकानों की जो वरवक्त स्व0 मदनसिंह द्वारा बनवाए गए थे उनकी फर्जी विक्रय पत्र बनवाकर जब अपीलांट को वेदखल करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 11.08.2021 को सीमाज्ञान करवाने आए तब अपीलांट को विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2019 की जानकारी हुई और रेस्पोडेंट ने अपना हिस्सा बताया और जमाबंदी की नकल लेने पर विवादित आदेश की जानकारी हुई। विवादित आराजी का विधिवत विभाजन नहीं किया गया है रेस्पोडेंट ने पटवार हल्का से साजकर विक्रेता ने वास्तविक स्थिति छुपाकर विक्रय पत्र बनवाकर गलत रूप से विभाजन करवा लिया है जब कि मृतकों को विभाजन की किस आधार पर जानकारी होती फर्जी रिकार्ड तैयार किया जाकर मातहत अदालत से गलत निर्णय रेस्पोडेंट द्वारा विना किसी ठोस आधार के करवा लिया है जिससे निर्णय व डिक्री विभाजन निरस्त फरमाई जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2020 राजस्व वाद संख्या 153/2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017(2) डी0एन0जे0 एस0सी0 पेज 415 पेश किया है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितवद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम-खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.7.2020 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि वादीया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 331 के आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 0.6900 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6900 है0 आराजी खाता संख्या 193 के खसरा नम्बर 407, 460 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1600 है0 वाकै ग्राम सूरपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा अलहदा किया जाकर तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/2649 दिनांक 13/08/2020 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किए गए। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया। अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय वहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद यदि अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुरपुरा, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा अलहदा किया गया। इस आशय का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

10- हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

11. सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का अवलोकन किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आता है कि अपीलांट अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प टू

Scanned with CamScanner

न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में पक्षकार मुर्तिब नहीं था तथा ना ही वह अपीलाधीन विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। बंटवारे के वाद में केवल रिकार्डेड सह–खातेदार काश्तकार ही पक्षकार कायम किये जाते है तथा उन्ही की बीच बाई मीटस एण्ड बाउण्डस/ भौतिक कब्जे काश्त को देखते हुए विधिवत रूप से बंटवारा किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2020 में अपीलांट का किस तरह से हक व अधिकार है, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावलियों पर उपलब्ध नहीं है तथा विधिक रूप से भी अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना विधिक रूप से संभव नहीं है। अपील के गुणावगुण पर अवलोकन किये जाने से भी यह तथ्य सामने आते है कि रेस्पोडेन्ट/वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष पेश किया। दिनांक 24.12.2019 को दावा रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 6.1.2020 नियत की गई। दिनांक 6.1.2020 के पश्चात् आगामी दिनांक 25.02.2020 व 2.3.2020 नियत की गई। वकील वादिया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से रजिस्टर्ड एडी पेश की। दिनांक 27.07.2020 में वकील वादिया उपस्थित हुए एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की रजिस्टर्ड एड़ी की रसीदे प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस सूचित होकर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीया की एकपक्षीय बहस को सुना गया। दिनांक 27.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया तत्पश्चात तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा दिनांक 10.08.2020 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे दिनांक 18.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा वादीया का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर मुताबिक नक्शे कुरेजात के अनुसार बंटवारा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसमें किसी भी पक्षकार का हक–हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है,जमाबंदी के अनुसार ही पक्षकारान के मध्य मौके पर काबिज व हिस्से अनुसार ही बंटवारा किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया। बंटवारे के वाद में केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के बीच ही बंटवारा किया जा सकता है। अपीलांट का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है तथा ना खातेदार है। अपीलांट ने अपने समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित है कि विवादित आराजी में उसका हक व अधिकार प्रभावित हो रहें है। अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned with CamScanner

12. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किये जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 153/2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर दूदू

13. निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास कोर्ट कैम्प दूदू में सुनाया गया ।

24/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर दूदू

Scanned with CamScanner